**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या AMG-IV/FR-17 वर्ष 2020-21**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी, वन प्रभाग मसूरी** के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.08.2020 से 24.08.2020 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.07.2019 से 27.07.2019 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: श्रेणी- 'A'

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

| वर्ष | अर्जित राजस्व (रू लाख में) |
|---|---|
| 2017-18 | 107.63 |
| 2018-19 | 135.55 |
| 2019-20 | 731.77 |

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

| **वर्ष** | **स्थापना** | | **गैरस्थापना** | | **अधिक्य (+)** | **बचत (-)** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **आवंटन** | **व्यय** | **आवंटन** | **व्यय** | | **स्थापना** | **गैर स्थापना** |
| 2017-18 | 275.81 | 265.19 | 792.76 | 786.33 | - | 6.62 | 6.42 |
| 2018-19 | 238.45 | 210.27 | 950.6 | 938.22 | - | 28.17 | 12.38 |
| 2019-20 | 373.97 | 352.12 | 94.63 | 94.63 | - | 21.85 | - |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

| **वर्ष** | **स्थापना योजना का नाम** | **केन्द्र पोषित/राज्य पोषित** | **प्रा0 अ0** | **प्राप्त** | **वित्तीय प्रगति व्यय** | **बचत (-)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2019-20** | इंटेन्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट | केंद्र पोषित | 0 | 30.80 | 25.62 | 5.18 |
| **2019-20** | इंटीग्रेटेड डेव्लपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेबिटेट | केंद्र पोषित | 0 | 29.04 | 27.80 | 1.24 |

**(iii)इकाई को बजट आवंटन** गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ‘A’ श्रेणी की है।

**(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

**सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी**

**(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 02/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

**योजना का चयन**: .........................

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## राजस्व की लेखा-परीक्षा
## (अति गम्भीर अनियमितताएं)
## भाग-II (अ)

" शून्य "

## गम्भीर अनियमितताएं
## भाग-II (ब)

प्रस्तर-01 ₹ 06.03 लाख राजस्व कम प्राप्त किया जाना।

प्रस्तर-02 उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आदेशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं करने के कारण ₹ 24.83 लाख की राजस्व क्षति।

प्रस्तर-03 कालातीत पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जाना/भूमि का कब्जा वापस नहीं लिया जाना एवं अवैध कब्जा हटाने हेतु समुचित प्रयास नहीं करना।

प्रस्तर-04 लीसा भंडार में कम लीसा उपलब्ध कराये जाने से ₹ 2.42 लाख की संभावित राजस्व हानि ।

प्रस्तर-05 जमानत धनराशि जमा नहीं कराया जाना ₹ 3.64 लाख।

प्रस्तर-06 अधिनियम एवं नियमानुसार कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप श्रमिक उपकर ₹ 39960.00 की कटौती न किया जाना।

**STAN**

STAN-01 ₹ 2.05 लाख की लकड़ी का निस्तारण न किया जाना।

STAN-02 निष्प्रयोज्य वाहन का मूल्यांकन कर नीलामी न कराया जाना।

STAN-03 राजस्व प्राप्त ₹11.22 लाख को एक माह से अधिक विलम्ब से कोषागार/बैंक मे जमा कराया जाना।

## व्यय की लेखा-परीक्षा
## (अति गम्भीर अनियमितताएं)
## भाग-II (अ)

" शून्य "

## गम्भीर अनियमितताएं
## भाग-II (ब)

प्रस्तर:-07 जायका योजना पर किये गए व्यय कि पुष्टि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

## भाग-दो (ब)

**प्रस्तर-01 ₹ 06.03 लाख राजस्व कम प्राप्त किया जाना।**

मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत जौनपुर रेंज के अंतर्गत धनौल्टी क्षेत्र में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन सम्यक रूप से पंजीकृत फॉरेस्ट डेव्लपमेंट एजेंसी, मसूरी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, उत्तरांचल संख्या- 1722, पत्रावली संख्या-19423d दिनांक 30/09/2003 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इस एफ0डी0ए0 सोसाइटी के बायलाज के अंतर्गत नियम संख्या -08 (र) के अंतर्गत दिये गए प्रावधानों के अनुसार धनौल्टी में "धनौल्टी पारिस्थितिकी एवं पर्यटन विकास कमेटी" का गठन, क्षेत्र के पारिस्थितिकी उपचार को स्थानीय लोगो के माध्यम से एवं प्रकृति पर्यटन के माध्यम से करने हेतु किया गया था। इस कार्यार्थ उप-नियमावली के नियम के अनुसार कमेटी का गठन किया गया था। इसके उप-नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार कमेटी को प्रवेश शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा। जिसका बिभाजन एवं उपयोग निम्न प्रकार से किया जाएगा-

(अ) 20 प्रतिशत राजस्व में सरकारी वन विभाग के माध्यम से जमा किया जाएगा।

(ब) 40 प्रतिशत धनराशि क्षैत्र के विकास एवं संरक्षण एवं संबर्धन पर ब्यय किया जाएगा।

(स) 40 प्रतिशत तक कमेटी के जो सदस्य इस पूरे कार्य को करने में अपना अर्थपूर्ण योगदान तथा समय देंगे उन्हें मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

उक्त के परिपेक्ष में कार्यालय प्रभागीय बनाधिकारी, मसूरी के राजस्व प्राप्ति अभिलेखों (चाटर्ड अकाउंटेंट के प्रतिवेदन) की जांच में पाया कि ईको पार्क धनौल्टी से यूजर चार्जेस से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत इस कार्यालय को मिलना था। चाटर्ड एकाउंटेंट के प्रतिवेदनानुसार विगत पाँच वर्षों में यूजर चार्जेस के रूप में कुल राजस्व निम्नानुसार प्राप्त की गई थी-

| वर्ष | इको-पार्क द्वारा कुल प्राप्त राजस्व | इस कार्यालय को प्राप्त होना चाहिए था (20 प्रतिशत) | इस कार्यालय को वास्तविक प्राप्त राजस्व | कम प्राप्त राजस्व (3-4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015-16 | 5110792.00 | 1022158.40 | 864274.00 | 157884.40 |
| 2016-17 | 6026477.00 | 1205295.40 | 1000325.00 | 204970.40 |
| 2017-18 | 6266175.00 | 1253235.00 | 1078805.00 | 174430.00 |
| 2018-19 | 6642133.00 | 1328426.60 | 1262467.00 | 65959.60 |
| 2019-20 | अभिलेख अप्राप्त | अभिलेख अप्राप्त | 1408596.00 | - |
| | | | | 603244.40 |

उक्त विवरण पत्र से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक रु. 603244 लाख राजस्व कम प्राप्त किया गया है। वर्ष 2019-20 में इको-पार्क से कितना यूजर चार्जेज़ के रूप में राजस्व प्राप्त किया गया था, का विवरण इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। प्रभाग में मात्र जो धनराशि प्राप्त किया गया था उसी का विवरण था। इस कार्यालय को ईको पार्क से प्राप्त कुल यूजर चार्जेज का 20 प्रतिशत धनराशि प्राप्त होना था। वन प्रभाग मसूरी कार्यालय ने कभी भी यह सुनिश्चित नहीं किया कि वास्तव में ईको पार्क को कितना यूजर चार्जेज प्राप्त हुआ और वन प्रभाग को उल्लिखित प्रावधानानुसार 20 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुआ कि नहीं। इसे इंगित करने पर विभाग ने आंकडों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि “सूचना मंगाकर प्रेषित की जाएगी”। इससे स्पष्ट है कि विभाग के द्वारा इको पार्क द्वारा जमा की गई धनराशि (20 प्रतिशत) का कोई मिलान नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप प्रभाग को वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक रु. 603244.40 कम राजस्व प्राप्त हुई। अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-2 (ब)**

**प्रस्तर-02 उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आदेशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं करने के कारण ₹ 24.83 लाख की राजस्व क्षति।**

Ministry of Environment and Forest, Government of India के पत्र दिनांक 29.03.2005 में Notified forest में Disposal of the trees standing on the forest land diverted for non forestry use under the Forest (conservation) Act 1980 के विषय में clarification दिया गया था कि "Timber shall be disposed of by the State Forest Department in the manner as deemed fit by it and the sale proceeds shall also accrue to the department and further clarification dated 11/12/2008 द्वारा कहा गया था कि the User/Project implementing Agency are not required to pay the cost of trees to the State Forest Departments but are required to make payment toward cutting, felling, logging and transportation charges of project affected trees to the State Forest Departments in addition to Compensatory Afforestation (CA) and Net Present Value (NPV).

प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विकास कार्यों के लिए किए गए 12 लाटों के पातन की राशि कार्यालय को अप्राप्त थी।

| क्रम संख्या | वर्ष | लौट की संख्या | अप्राप्य धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 2016-17 | 3 | 8,42,651= |
| 2. | 2017-18 | शून्य | 00= |
| 3. | 2018-19 | 2 | 27,502= |
| 4. | 2019-20 | 7 | 12,81,062= |

| | | |
|---|---|---|
| कुल | 12 | 21,51,215= |

उत्तराखंड वन विकास निगम ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेशों के विपरीत धनराशि विभाग के खाते में remit न किए जाने से रु0 21,51,215/= हानि हुई। पुनः लेखा परीक्षा में यह भी पाया कि वर्ष 2019-20 की लौट संख्या 20 व 21 के द्वारा 537 वृक्षो की 305.6766 घन मी0 लकड़ी जिसकी अनुमानित कीमत रु0 331,503/= वन विकास निगम द्वारा उठान न किए जाने से पुन: रु0 331,503/= की हानि में परिणत हुआ। इसप्रकार, वन विकास निगम द्वारा आदेशों की गलत व्याख्या कर विभाग की संपत्ति से प्राप्त होने वाले राजस्व रु0 21,51,215/= एवं विभाग गिरे-पड़े वृक्षों का उठान न किए जाने से प्राप्त होने वाले राजस्व रु0 331,503/= कुल रु0 24,82,718 (रु0 24.83 लाख) राजस्व हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुये जांच कर आख्या प्रेषित कि जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था वर्ष 2016-17 से कार्यवाही न किए जाने से राजस्व हानि हुई थी।

अत: कुल रु0 24,82,718 (रु0 24.83 लाख) राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग-दो (ब)**

**प्रस्तर-03 कालातीत पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जाना/भूमि का कब्जा वापस नहीं लिया जाना एवं अवैध कब्जा हटाने हेतु समुचित प्रयास नहीं करना।**

भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 भारतीय वन अधिनियम,1927 का उत्तरांचल में उसकी प्रबृत्ति के संबंध में संशोधन धारा 13 मूल अधिनियम की धारा 61 (1) से (4) के अनुसार अप्राधिकृत अध्यासियों को यथाशीघ्र बेदखली किया जाना था।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के लीज से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि वर्ष 1966 से 1984 तक कालातीत हो चुकी 41 पट्टा बिलेख जिसमे कुल 53.9168 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित था, का न ही नवीनीकरण किया गया है और न ही भूमि, पट्टा ग्रहीता से वापस ही लिया गया है। पट्टा धारको के आधिपत्य/ कब्जे में आज भी निम्नानुसार वन भूमि है-

1- 32 पट्टा धारक जिनकी मृत्यु हो चुकी है और पट्टा अवधि भी कालातीत हो चुकी है इसके बाद भी न, तो पट्टा नवीनीकरण करवाया गया है न ही पट्टा भूमि वापस लिया गया है।

2- 04 ऐसे प्रकरण है जिनका पट्टा 1984 एवं 85 में ही कालातीत हो चुकी है और पट्टा नवीनीकरण के इच्छुक नहीं है इसके बाद भी पट्टा भूमि वापस नहीं लिया गया है।

3- 02 प्रकरण ऐसे है पट्टा भूमि विभाग के कब्जे में है लेकिन देय बकाया वसूला नहीं गया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि भूमि कब विभाग के द्वारा कब्जे में लिया गया है।

4- 01 प्रकरण जिसका पट्टा नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है, लेकिन प्रस्तावित भूमि का पट्टा दिनांक 30/06/2009 को कालातीत हो चुकी है और इसका नवीनीकरण हेतु गणना कैसे कि गई कोई अभिलेख नहीं था।

5- 02 प्रकरण ऐसे भी है जो पट्टा भूमि वापस करने के इच्छुक है लेकिन विभाग के द्वारा लेखा परीक्षा तिथि तक (24/08/2020) भूमि कब्जे में नहीं लिया गया था जबकि पट्टा वर्ष 1984 में ही कालातीत हो चुकी थी।

उक्त लिखित अवैध कब्जे की भूमि नियमानुसार कार्यवाही कर नियमतिकरण की जाती तो राजस्व भी प्राप्त होती लेकिन विभाग के द्वारा यथौचित कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप न ही अवैध कब्जा हटाई जा सकी न ही पट्टा किराया के रूप में राजस्व ही प्राप्त की जा सकी। कालातीत पट्टा भूमि जो लेखा परीक्षा तिथि तक पूर्व पट्टा धारकों के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है, उन पर कितना राजस्व बकाया है इसका भी कोई गणना विवरण तैयार नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उल्लिखित प्रकरण को गंभीरता से लिया ही नहीं गया है।

आगे यह भी पाया कि वन प्रभाग के 06 रेंजों में कुल 211 प्रकरणों में 97.7847 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, को भी कब्जा हटाये जाने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। वन विभाग की इसी प्रकार की उदासीनता के कारण कब्जाधारियों का मनोबल बढ़ा है।

उक्त लिखित को इंगित करने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया कि "जाँचोपरान्त कार्यवाही की जाएगी"। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि पट्टा विलेखों के कालातीत होने के बाद एवं अवैध कब्जे के प्रकरण संज्ञान में होने के बाद भी विभाग के द्वारा गंभीरता से योथौचित कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप कुल कालातीत पट्टा भूमि 53.9168 हेक्टेयर विनियमितिकरण एवं अवैध कब्जा भूमि 97.7847 हेक्टेयर को कब्जे में नहीं लिया गया है।

## भाग - दो (ब)

**प्रस्तर-04 लीसा भंडार में कम लीसा उपलब्ध कराये जाने से ₹ 2.42 लाख की संभावित राजस्व हानि ।**

प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया कि प्रभाग में वर्ष 2019 हेतु लीसा उत्पादन का कुल लक्ष्य 718.27 कु0 निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष वर्ष में कुल 727.22 कु0 उत्पादन किया गया था परंतु लीसा भंडार अधिकारी ऋषिकेश द्वारा मात्र 688.82 कु0 की प्राप्ति दर्शायी गयी थी (जिसमें 8.82 कु0 छिज्जत थी)। इस प्रकार, 38.40 कु0 कम लीसा, लीसा भंडार ऋषिकेश में भेजा गया था। जबकि, नव0 2019 तक ही 100% लीसा संग्रहण की योजना का अनुपालन किया जाना होता है तो मई 2020 तक भी सम्पूर्ण मात्रा में लीसा भंडार ऋषिकेश तक नहीं पहुँच पाया था ।

इस प्रकार, 38.4 कु0 कम लीसा भंडार ऋषिकेश में कम उपलब्ध कराये जाने से रु0 6300/= प्रति कु0 की दर से रु0 241,920 के राजस्व हानि हुई। लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि भारी बर्फ बारी के कारण लीसा डिपो तक नहीं पहुंचायी जा सकी अब माह जून में पहुचा दिया गया है चालान प्राप्त होने पर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इकाई के द्वारा चालान उपलब्ध न कराये जाने से लीसा की यथास्थिति का पता नहीं लगया जा सकता है।

इस प्रकार लीसा भंडार न पहुँच पाने के कारण ₹ 2.42 लाख की संभावित राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग दो 'ब'**

**प्रस्तर-05 जमानत धनराशि जमा नहीं कराया जाना ₹ 3.64 लाख**

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी के जमानत जमा प्रत्रावली की जांच में पाया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा निर्धारित/बकाया जमानत जमा राशि ₹ 3,63,500/-(संलग्नक विवरण) जमा नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए यथाशीध्र जमा करवाकर सूचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार जमानत जमा धनराशि ₹ 3.64 लाख नहीं जमा कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग-दो (ब)**

**प्रस्तर-06 अधिनियम एवं नियमानुसार कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप श्रमिक उपकर ₹ 39960.00 की कटौती न किया जाना।**

अधिसूचना उत्तराखंड शासन, श्रम एवं सेवायोजन विभाग संख्या-474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 देहारादून, दिनांक 17 मई, 2012 के क्रम में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 एवं 5 सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकार नियमावली, 1998 के नियम-2 के खंड (च) एवं (छ) तथा नियम 4,5 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिन कार्यो में दस या दस से अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित हों, निर्मित कराये जाने वाले समस्त भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों जिनमे दस लाख रुपये से अधिक के निर्माण लागत वाले निजी रिहायशी आवास भी सम्मिलित हे, पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकार अधिनियम,1996 के अधीन उपकर लिया जाएगा।

उक्त के सन्दर्भ में कार्यालय प्रभागीय बनाधिकारी मसूरी बन प्रभाग, मसूरी की अभिलेखों की जांच में पाया कि प्रभाग में निम्नलिखित कार्य वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक कराये गए थे- ( SOR/DSR दर सूची के अनुसार संपादित की गई थी)

| क्रम संख्या | वर्ष | योजना का नाम | कार्य का विवरण | ब्यय धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-18 | वनों की सुरक्षा | बाउंड्री पिल्लर निर्माण | 150000/- |
| 2 | 2018-19 | वन संचार साधन सड़क, पल एवं भवन | भवन मरम्मत | 300000/- |
| 3 | - | वन मोटर मार्गो की सुरक्षा | वन मोटर मार्ग का सुरक्षा 20 KM | 796000/- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2019-2020 | वन संचार साधन | भवन मरम्मत | 500000/- |
| 5 | - | वन मोटर मार्गो की सुरक्षा | वन मोटर मार्गो की सुरक्षा 45 KM | 2250000/- |
| | | कुल | | 3996000/- |

किए गए/करवाए गए निर्माण कार्यों की प्राक्कलन में कार्यमदों की गणना उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के दर सूची के अनुसार दर विष्लेषण कर प्राक्कलन तैयार कर कार्य संपादित किया गया था, जिसमें 1 प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती कर आयुक्त श्रम कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी के पक्ष में जमा नहीं किया गया था। विभाग के द्वारा विगत 03 वर्षो में कुल रु. 3996000.00 का निर्माण कार्य कराया गया था। जिस पर ₹ 39960.00 (3996000 x 1%) उपकर जमा किया जाना वांछित था। यथा समय उपकर की कटौती कर जमा नहीं किए जाने पर ब्याज और अर्थदण्ड का भी प्रावधान है। इसे इंगित करने पर विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये तथा आंकडों एवं तथ्यों को पुष्टि करते हुये बताया कि "प्राक्कलन में उपकर की कोई प्रावधान नहीं किया गया था, अब 2020-21 से श्रमिक उपकर का प्रावधान कर कटौती की जाएगी तथा जमा किया जाएगा"। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उल्लिखित अधिनियम एवं नियमानुसार कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप श्रमिक उपकर ₹ 39960.00 की कटौती कर जमा नहीं किया गया। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग दो 'ब'**

**प्रस्तर:-07 जायका योजना पर किये गए व्यय कि पुष्टि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।**

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी की लेखापरीक्षा में पाया की "उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना"(जायका वित्त पोषित) के अन्तर्गत वन प्रभाग मसूरी में वनो का ह्रास रोकना, आजीविका विकास, आय वृद्धि के उपाय, मिट्टी एवं नमी का संरक्षण, जल सोत्रों/नालों खालों का पुनरूधार, वन वर्धन कार्य, वनीकरण/वृक्षारोपण, समुदाय आधारित पौधालय आदि किये जाने थे। उक्त कार्य हेतु वन प्रभाग मसूरी को वर्ष 2019-20 में कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या- 106(3)/2-8 (मसूरी) देहरादून, दिनांक 23-07-2019 को अनुदान संख्या-27 के द्वारा रू-45॰69 लाख अवमुक्त किया गया था, जिसमें से रू 32॰39 लाख से 435 हेक्टेयर में वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य प्रभाग के अन्तर्गत वन पंचायतों को वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य किया जाना था। शेष धनराशि अन्य पर व्यय किया गया। उक्त व्यय की धनराशि का पुष्टि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाण प्राप्त होते ही सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जाएगा। इस प्रकार रू 32॰39 लाख व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था और किए गए कार्यो का निरीक्षण के सम्बन्ध मे कोई उत्तर नहीं दिया गया, जिससे मद में किए गए कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

## STAN

**STAN-01 ₹ 2.05 लाख की लकड़ी का निस्तारण न किया जाना।**

लेखा परीक्षा में सी -1 पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि 37.8319 घन मी0 लकड़ी वर्ष 2018 से भी पूर्व से अनिस्तारित पायी गयी जिसकी अनुमानित रॉयल्टी रु0 205,481/= लकड़ी के अनिस्तारण के कारण प्राप्त नहीं हो पायी थी।

कार्यालय के सी-1 पंजिका में होने के बाद भी लकड़ी का निस्तारण न होने से तथा लकड़ी के काफी समय से पड़े रहने से उसकी गुणवत्ता में कमी होने के कारण कीमत में लगातार कमी हो रही है जो अंतत: ₹ 2.05 लाख के राजस्व अप्राप्य रहने से राजस्व हानि हो रही है। विभागीय सी-1 पंजिका में आने के उपरांत भी लकड़ी का निस्तारण न किए जाने से रु0 2.05 लाख की हानि हो रही है।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुये जांच कर आख्या प्रेषित की जाएगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

### STAN-02 निष्प्रयोज्य वाहन का मूल्यांकन कर नीलामी न कराया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया कि वाहन मार्शल जीप/UP-07-L-13774 मांडल 2000 विगत पाँच वर्ष से चलने की स्थिति में नहीं है और वाहन कार्यालय के कैम्पस मे खड़ा हैं, फिर भी वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही नहीं की गयी| जबकि उक्त वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित एवं मूल्यांकन कर नीलामी की जाती तो अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता था| परन्तु विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यवाही न किये जाने से वाहन का मूल्य निरन्तर ह्रास हो रहा है |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये अवगत कराया कि यथाशीघ्र मूल्यांकन करा नीलामी की कार्यवाही कि जायेगी| अत: निष्प्रयोज्य वाहन का मूल्यांकन कर नीलामी कि कार्यवाही न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं|

**STAN**

**STAN-03 राजस्व प्राप्त ₹11.22 लाख को एक माह से अधिक विलम्ब से कोषागार/बैंक मे जमा कराया जाना।**

कार्यालय की प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी नमूना लेखापरीक्षा पाया की प्रभाग की रेजों द्वारा वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्ति को कोषागार नियत समय पर जमा नहीं किया जा रहा था, जबकि वित्तीय नियमानुसार सरकारी प्राप्ति राशि को उसी दिन कोषागार/बैंक जमा करा दिया जाना चाहिए, यदि दूर होने की स्थिति में अगले दिन अवश्य ही जमा करा दिया जाना चाहिए | परन्तु प्रभाग की रेजों द्वारा प्राप्त राजस्व रू- 11.22 लाख (विवरण संलग्न) को एक माह से अधिक विलम्ब से कोषागार/बैंक में जमा कराया गया था |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये अवगत कराया कि सभी रेंज अधिकारियों को समयबद्ध धनराशि जमा करने हेतु निर्देश जारी किया जाएगा | इस प्रकार प्राप्त राजस्व रू- 11.22 लाख को एक माह से अधिक विलम्ब से कोषागार/बैंक मे धनराशि जमा किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

**विवरण संलग्न**

| क्रम संख्या | रेंज का नाम | राजस्व प्राप्ति दिनांक | जमा दिनांक | धनराशि(₹ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रायपुर (बेरियर सहस्रधारा छत्री प्वाइंट) | 26-4-19 से 25-5-19 | 27-5-19 | 24450 |
| 2 | रायपुर (बेरियर सहस्रधारा छत्री प्वाइंट | 26-5-19 से 25-6-19 | 26-6-19 | 13475 |
| 3 | रायपुर (बेरियर सहस्रधारा छत्री प्वाइंट | 26-11-19 से 25-12-19 | 26-12-19 | 46350 |
| 4 | रायपुर (बेरियर सहस्रधारा छत्री प्वाइंट | 26-12-19 से 27-1-20 | 27-1-20 | 38025 |
| 5 | रायपुर (बेरियर सहस्रधारा छत्री प्वाइंट | 26-1-20 से 25-2-20 | 26-2-20 | 26700 |
| 6 | रायपुर (बेरियर सहस्रधारा छत्री प्वाइंट | 26-2-20 से 26-3-20 | 27-3-20 | 11100 |
| 7 | रायपुर (बेरियर केशरवाला) | 26-4-19 से 25-5-19 | 27-5-19 | 69675 |
| 8 | रायपुर (बेरियर केशरवाला) | 26-5-19 से 25-6-19 | 26-6-19 | 68325 |
| 9 | रायपुर (बेरियर केशरवाला) | 26-11-19 से 25-12-19 | 26-12-19 | 247275 |
| 10 | रायपुर (बेरियर केशरवाला | 26-12-19 से 27-1-20 | 27-1-19 | 249375 |
| 11 | रायपुर (बेरियर | 26-1-20 से 25-2-20 | 26-2-20 | 212025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | केशरवाला | | | |
| 12 | रायपुर (बेरियर केशरवाला | 26-2-20 से 26-3-20 | 27-3-20 | 115275 |
| | | **योग** | | **1122050** |

**भाग-III**

**राजस्व से संबंधित** विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| 54/2015-16 | 01 | - | - |
| 124/2017-18 | - | 01,02,03,04,05,06,07 | - |
| 29/2004-05 | - | 05 | - |
| 04/2005-06 | 02 | 04 | |
| 2008-09 | - | 03 | |
| 2010-11 | 01 | | |
| 15/2011-12 | | 01,02,03, | |
| 37/2013-14 | | 01,02 | |
| 124/2017-18 | | 08,09 | 01,02,03,04 |
| 94/2018-19 | | 01,02,03,04 | 01 |
| 40/2019-20 | | 1,2,3,4,5 | 1,2 |

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

i. रोकड बही

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती कहकंशा नसीम | प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV